पत्र संख्या-एस0एस0-मासिक समीक्षा बैठक -2017-18/526/ वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
(संख्या अनुभाग)
लखनऊ : दिनॉक: 13/09/ 2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0)/(कारपो0)/(वि0अनु0शा0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

आप भिज्ञ हैं कि माह जुलाई-17 पेड अगस्त-17 के जी0एस0टी0आर0-1, 2, 3 व 3बी दाखिल किये जाने का दिनॉक माह सितम्बर-17 में निश्चित अवधि के लिए नियत है । 20 तारीख तक जी0एस0टी0आर0-3बी दाखिल कराया जाना प्रदेश के राजस्व के लिए अति महत्वपूर्ण है ।

इस हेतु अपेक्षित है कि प्रत्येक एडीशनल कमिश्नर से लेकर वाणिज्य कर अधिकारी तक अपने अधिक्षेत्र के एडीशनल कमिश्नर 100, ज्वाइंट कमिश्नर 100, डिप्टी कमिश्नर 100 बड़े टैक्सपेयर तथा असिस्टैण्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी 250 बड़े टैक्सपेयर(सभी स्तर पर उच्चाधिकारी के अतिरिक्त) से वार्ता / सम्पर्क करके 20 तारीख के पूर्व ही **जी0एस0टी0आर-3बी दाखिल कराया जाना** सुनिश्चित करायें ।

दि0 18-09-17 की वीडियो कान्फ्रेसिंग का एजेण्डा इस कार्यालय के पत्र संख्या-492 दि0 04-09-17 से प्रेषित किया जा चुका है । इसी क्रम में माह जुलाई-17 पेड अगस्त-17 के सभी जी0एस0टी0आर0 निश्चित अवधि में दाखिल कराया जाना व पूर्व में दाखिल कराये जाने के लिए किये गये प्रयास पर समीक्षा की जायेगी ।

2- दि0 18-09-17 से टी0डी0एस0 कटौती की धनराशि जमा किये जाने का पोर्टल शुरु किये जाने की सूचना जी0एस0टी0एन0 द्वारा दी गयी है । अतः इसके पूर्व जिले के सभी **आहरण-वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षित** किया जाना आवश्यक एवं राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ।

अपेक्षित है कि प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को उक्त जानकारी उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षित करा दिया जाये, ताकि 18-09-17 से पंजीयन कराकर उनके रिटर्न फाईल कराकर दाखिल कराये जा सके । दि0 18-09-17 की वीडियो कान्फ्रेसिंग में आहरण-वितरण अधिकारी का प्रशिक्षण, पंजीयन की तैयारी पर समीक्षा की जायेगी ।

निर्देशित किया जाता है कि कृपया स्वयं रुचि लेकर तथा अधीनस्थ अधिकारियों से कार्य पूर्ण कराते हुए सभी एजेण्डा बिन्दुओं पर सम्यक् तैयारी के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग में प्रतिभाग करने का कष्ट करें ।

(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ0पत्र संख्या व दिनॉक : उक्त ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर व मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन ।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं एडीशनल कमि0 (प्रशासन) /(जी0एस0टी0) वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
3. ज्वाइन्ट कमि0 (आई0टी), (सचलदल), (वि0अनु0शा0)/(फार्म)/(जी0एस0टी0) व (संग्रह) मुख्यालय ।
4. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, प्रथम व द्वितीय, कमिश्नर (कैम्प) / एडीशनल कमिश्नर (कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।